

उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या-क0नि0-2-485/ग्यारह-9(13)/2010-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(156)-2016
लखनऊ: दिनांक: 04 अप्रैल, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 3-क की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, दिनांक 05 अप्रैल, 2016 से समय-समय पर यथा संशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या क0नि0-2-419/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(69)-2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना की सारणी में, कम संख्या 3 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि स्तम्भवार रख दी जायेगी, अर्थात:-

एडि. कमि. (Law)

सारणी

०५/०५/१६
एडि. कमि.
०५-०५-२०१६

क्रम संख्या	माल का विवरण	दर
1	2	3
3	सीमेन्ट	4 प्रतिशत

34
०५-५-१६

आज्ञा से,


(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।